IV → 75/011

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 678989

28-11-11

कार्यालय का नाम– उपनिबन्धक सदर आजमगढ़

1– प्रस्तुत करने की तिथि – 28-11-2011

2– निष्पादन की तिथि – 28-11-2011

3– प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता – श्री जितेन्द्र राय पुत्र सर्वदेव राय निवासी ग्राम– कोलपाण्डेय (शान्तीनगर) पोस्ट– भँवरनाथ तहसील – सदर जिला आजमगढ़

4– विलेख की प्रकृति – ट्रस्टनामा

5– न्यास कोष की धनराशि – 25000/–

6– निष्पादन का नाम व पूरा पता – श्री जितेन्द्र राय पुत्र सर्वदेव राय निवासी ग्राम– कोलपाण्डेय (शान्तीनगर) पोस्ट– भँवरनाथ तहसील – सदर जिला आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 981267

7— ट्रस्ट का नाम व पता — श्री ठाकुर जी महराज समिति ट्रस्ट (शान्तीनगर) कोलपाण्डेय पोस्ट— भैंवरनाथ तहसील — सदर जिला आजमगढ़

8— कुल अदा किया गया स्टाम्प— 1000/—

हम कि जितेन्द्र राय पुत्र सर्वदेव राय निवासी ग्राम— कोलपाण्डेय (शान्तीनगर) पोस्ट— भैंवरनाथ तहसील — सदर जिला आजमगढ़ का स्थायी निवासी हूँ। हम मुकिर एक ट्रस्ट की स्थापना कर रहा हूँ तथा इसके कार्य रूप में वर्णित कर रहा हूँ हम मुकिर का लगाव हमेशा गरीबो की मदद करना व शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। हम मुकिर का उद्देश्य व मंशा को कार्य रूप मे लाने के लिए इस धर्मार्थ ट्रस्ट का विलेख हम मुकिर अपने परिवार के सहयोग व इच्छा से आज दिनांक 28-11-2011 को स्वेच्छा से पूरी तरह विचार विमर्श कर स्वच्छ मन से निष्पादित कर रहा हूँ जो प्रमाण रहें जो वक्त पर काम आवे।

1— ट्रस्ट का नाम इस ट्रस्ट का नाम श्री ठाकुर जी महराज समिति ट्रस्ट शान्तीनगर कोलपाण्डेय आजमगढ़ होगा।

2— ट्रस्ट का मुख्यालय — इसीका मुख्यालय हमेशा ग्राम— कोलपाण्डेय (शान्तीनगर) पोस्ट— भैंवरनाथ तहसील — सदर जिला आजमगढ़ रहेगा केवल कार्य की आवश्यकता को देखते हुए ही मुख्यालय ट्रस्टी के संस्थापक मण्डल के दो तिहाई बहुमत से ही अन्यत्र खोला जा सकेगा। तथा ट्रस्ट मण्डल के बहुमत से ही इस शाखा कार्यालय अन्यत्र खोला जा सकेगा।

3— ट्रस्ट का क्षेत्र — सम्पूर्ण भारत वर्ष

4— ट्रस्ट का उद्देश्य —

क— लोगो का सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक अध्यात्मिक शरिरीक व्यवसामाजिक एंव बौद्धिक विकास करना

ख— लड़के व लड़कियों के लिए सामान्य शिक्षा उच्च शिक्षा रोजगार परक व आम परक तकनीकी एंव व्यवसायिक, आध्यात्मिक व पालिटेकनीक कालेज व आई0टी0आई0 कालेज विधिक कालेज व कमान्ट प्रशिक्षण

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 981268

कम्प्यूटर एंव प्रविधिक मडिकल व वैानिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थाओ की स्थापना करान उनका संचालन करना तथा उस क्रम में विभागीय केन्द्रो प्रकोष्टो आदि की स्थापना करना एंव सम्बन्धित पाठ्य कमों को लागू करना । –

ग– आर्थिक तथा सामाजिक रूप मे पिछडे लोगो माहिलाओ छात्रों एंव छात्राओं बच्चों तथा बूढ़ों एंव निरक्षर मूक बाधिरो के लिए कल्याण कारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना ।

घ– गरीब व्यक्तिओं के निदान के लिए दवाओं का वितरण करना तथा अस्पताल स्थापित करके या चिकित्सको की सेवाये हासिल करके सस्ती व मुक्त चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना तथा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आदि की आयोजन करना।

ङ– ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का निस्तार बेरोजगारों के लिए रोजगार तथा प्रविधक शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा एंव विधि कालेज खोलना व रोजगार परक शिक्षा पर विशेष बल देना।

च– सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, धार्मिक एंव तकनीकी कार्यकमों का आयोजन करना व उनकी व्यवस्था करना

छ– पुस्तकालय एंव वाचनालय व छात्रावास व्यामशाला व प्रयोगशाला की व्यवस्था करना

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 981269

ज– समाज के सभी वर्गों के होनहार परिश्रमी व कुशल बुद्धि के छात्रों के लिए विभिन्न अम्मान परितोषित छात्रवृति एंव अनुदान की यथासम्भव व्यवस्था करना व अन्य सुविधायें प्रदान करना एंव निराश्रितों हेतु अन्नाथलय वृद्धाश्रम तथा यात्रियों हेतु धर्मशाला आदि का निर्माण करना ।–

झ– भारत सरकार व प्रदेश सरकार व स्वैच्छिक एन0जी0आ0 द्वारा प्राप्त सहगगिता योजनाओं को संचामित करना।

ञ – माट्रस्ट का उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट मण्डल के अध्यक्ष यानी प्रबन्धक की यह अधिकार होगा कि यह ट्रस्ट मण्डल की सहमति से नियमानुसार किसी बैंक अथवा संस्था से लोन ले सकता है लोन की आदयगी कराने के लिए ट्रस्ट मण्डल वाध्य होगा

5– उपरोक्त हेतु यह ट्रस्ट विना किसी भेदभाव के उपयुक्त प्रकार के लो कल्याण के कार्यों को पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेगा जिसके लिए व्यक्तिओं जनप्रतिनिधिओं से व अंगठनों संस्थाओं तथा आकार से अनुदान चन्दा कम संविदा तथा अन्य वैद्य तरीको द्वारा चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त व अर्जित कर सकेगा।

ट्रस्टीगण निम्न लिखित व्यक्ति है–

नाम – पिता का नाम / पति का नाम – पता पेशा

1– प्रबन्धक जितेन्द्र राय उम्र 32 वर्ष पुत्र सर्वदेव राय निवासी ग्राम– कोलपाण्डेय (शान्तीनगर) पोस्ट– भैंवरनाथ तहसील – सदर जिला आजमगढ़ .... व्यवसाय

2– शारदा शंकर पुत्र जितेन्द्र राय ग्राम कोलपाण्डेय (शान्तीनगर) परगना निजामाबाद पोस्ट– भैंवरनाथ तहसील – सदर जिला आजमगढ़ .... अध्ययनकरत

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 98127

3— सुनयना राय पुत्री उमाशंकर राय गृहणी

4— मोनिका राय पुत्री उमाशंकर राय गृहणी

5— दुर्गेश राय पुत्र उमाशंकर राय ग्राम सोड़सर पो0 फैज्जुलाहपुर तहसील सदर जिला मउ

6— उपरोक्त ट्रस्टीगण ट्रस्ट के प्रथम व प्रारम्भिक ट्रस्टीगण है। जिनके द्वारा ट्रस्ट की वर्तमान चल व अचल सम्पति संगल्गित व निहित हुई है। इस ट्रस्ट की स्थापना करने वाली उपरोक्त ट्रस्टीगध इस ट्रस्ट के आजीवन संस्थापक सदस्य रहेगें इस संस्थान के संस्थापक मण्डल के रूप में प्रतिणित रहेगें।

7— यह कि ट्रस्टीगण की संख्या अधिक से अधिक 15 हो सकती है। जो कि आवश्यकता पड़ने पर वर्तमान ट्रस्टीगण के बहुमत से वन सकते है तथा इस ट्रस्ट के ट्रस्टीगण की वालिगं अन्तान जो स्वस्मचित का हो तथा इस ट्रस्ट में संस्थारखता हो नसलन याद नसलन टस्टीगण होते रहेगें।

8— यह कि उपरोक्त ट्रस्टीगण है जिनके योगदान सहयोग से ट्रस्ट की वर्तमान अम्स मु0 25,000/— रू0 के सकंल्प समपण व प्रदान पर इस ट्रस्ट का सृजन हो रहा है। और मानिण्य में उपरोक्त ट्रस्टी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोई अन्य चल व अचल सम्पति वालीमत दान अनदान की अथवा संविदा पवा द्वारा अर्जित प्राप्त कर स्वीकार कर सकते है उपरोक्त ट्रस्टीगण इसके द्वारा संचाति संस्थानों के भी आजीवन सदस्य रहेगें तथा इस ट्रस्ट का सवस्य जितेन्द्र राय पुत्र सर्वदेव प्रबन्धक होगे तथा संचालित संस्थाओं के भी आजीवन प्रबन्धक रहेगे।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 981261

9– यह कि प्रत्येक ट्रस्टी के लिए ट्रस्ट के कामों में पूरी दिल्लचस्पी लेना आवश्यक होगा और यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट मण्डल की चार बैठको में अनुपस्थित रहेगा तो ट्रस्ट मण्डल को अधिकार होगा कि उस ट्रस्टी को नोटिस के उपरान्त ट्रस्टी के पद से मुक्त कर सकते है।

10– यह कि ट्रस्ट का प्रबन्धक इस ट्रस्ट के मुख्य कार्याधिकारी होगे तथा ट्रस्ट प्रबन्धक मण्डल के निमार्ण के अनुसार ट्रस्ट का प्रबन्धक करेगा तथा इन्हे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

11– यह कि प्रबन्धक के न रहने या त्याग पत्र देने पर ट्रस्टीगण को यह अधिकार होगा किवह ट्रस्ट के निष्पादन जितेन्द्र राय के पुत्र शारदा शकंर राय ही एक मात्र प्रबन्धक होगे जिनका चयन ट्रस्टीगण के बहुमत से होगा।

12– ट्रस्ट द्वारा निर्मित किसी भी चल व अचल सम्पतिमें प्रबन्धक के ब्लॅड सम्बन्धित व्यक्ति के अलावा किसी दूसरे का अधिकार इस ट्रस्ट पर नही होगा प्रबंन्धक की अनुपस्थिति में उनके ज्येष्ठ पुत्र ही मान्य होगे उनके पास समस्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पति का अधिकार होगा।

13– यह कि ट्रस्ट मण्डल की बैठक कम से कम एक वर्ष में दो बार आवश्य होगी जिसमें ट्रस्ट के संचालन व कियाकलापों पर विचार व वर्ष में एक वार्षिकोत्सव होगा जिसमें ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के कियाकलापों व हिसाब किताब का लेखा जोखा होगा तथा अन्य आवश्यक निर्णय लिए जो सकें।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 981262

14— यह कि ट्रस्ट की सम्पूर्ण धनराशि किसा रजिस्टर्ड बैंक या पोस्ट आफिस में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन जरीये प्रबन्धक संयुक्त रूप से करेंगे।

15— यह कि ट्रस्ट में एक कोषाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति ट्रस्टी मण्डल अपने बहुमत से तीन वर्ष के लिए करेगा कोषाध्यक्ष के लिए कि हिसाब किताब का ब्यौरा सचिव से लेकर रखे तथा उसका आडिट प्रति वर्ष कराने तथा प्रति वर्ष ट्रस्ट मण्डल में उसे पास कराने।

16— यह कि ट्रस्ट द्वारा स्थापित किए गये संस्थानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस संस्थान के विशेष नियमों व निमावली बनाने का अधिकार ट्रस्टी मण्डल को होगा तथा ट्रस्टी मण्डल उन नियमो व उपनियमो को समय समय पर आवश्यक संशोधन कर सकेगा।

17— यह कि ट्रस्ट द्वारा व संचालित प्रत्येक प्रतिश्ठान के लिए मण्डल को अपना एक उप समिति भी गठित करने को अधिकार होगा जिसमें ट्रस्टीगण के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञो को भी ट्रस्ट मण्डल में मनोनीत कर सकगा तथा इस प्रकार से नियुक्ति की गई उप समिति के अधिकार उसका कार्यकाल और कार्य क्षेत्र ट्रस्ट मण्डल को निश्चित करने का अधिकार होगा और उक्त समितियाँ ट्रस्ट मण्डल के बहुमत मे निर्णयों एंव आदेशों का पालन करेगी ट्रस्ट मण्डल को उक्त उप समितियों को भंग करने उनके सदस्यों को नियुक्त करने का तथा नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

18— यह कि ट्रस्ट को किसी म नियम द्वारा प्रशासन व किसी भी व्यक्ति द्वारा ट्रस्ट के नाम से जमीन जायजाद प्राप्त करने तथा ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित प्रतिष्ठानों के लिए भवन निर्माण व उसके लिए उपयोगी वस्तुओ को खरीद व व्यवस्था आदि करने का अधिकार होगा। ट्रस्ट को यह भी अधिकार होगा कि कोई सम्पत्ति अथवा धन किसी से दान रूप में प्राप्त करें अथवा कोई सम्पत्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खरीदे या पटटे या संविदा पर प्राप्त करे तथा किसी विशेष परिस्थित में ही ट्रस्ट मण्डल के दो तिहाई बहुमत के प्रस्ताव से ट्रस्ट की सम्पत्ति अन्तरण की जा सकेगी।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 981263

19— यह कि ट्रस्ट की अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अन्य आवश्यक कार्य जैसे दुकाने बाजार आदि बनवाकर किराये पर उठाने का अधिकार होगा। उक्त आमदनी जो दुकानो तथा अन्य प्रकार से होगी वह आमदनी ट्रस्ट के कार्यों हेतु निहित होगी।

20— यह कि ट्रस्ट की ओर से उसके द्वारा स्थापति व संचालित संस्थानों की प्रत्येक कानूनी कार्यवाही करने का एक मात्र अधिकार ट्रस्ट के प्रबन्धक को होगा तथा आजमगढ़ न्यायालय को क्षेत्राधिकार होगा।

21— ट्रस्टीगण/ट्रस्टी मण्डल के कर्तव्य ऐव अधिकार

क— इस ट्रस्ट का उचित प्रचार व प्रकार करना और उसे जनप्रिय तथा जनोपयोगी बनाना।

ख— विधि के अनुसार हा आवश्यक व उचित कार्य करना तथा उसके लिए हर तरह से प्रयत्नशील रहना।

ग— ट्रस्ट सम्पत्ति का पूरी विवरण रखना तथा लेखा जाखा रखना तथा समय समय पर आडिट कराना।

घ— उपरोक्त ट्रस्ट के असितत्व को निरन्तर स्थिर रखना तथा कार्य क्षेत्र एंव अदगुणों का विस्तार करना।

ङ— ट्रस्टी मनल की वर्ष में कम से कम दो बार पूर्ण सूचना के अधिकार पर बैठक करना अनमीत कालीन परिस्थितियों में विशेष बैठक की व्यवस्था करना तथा बैठक में कार्यवाही पंजिका उसकी सम्पत्ति व आय व्यय आदि का लेखा जोखा व विवरण रखनी।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 981264

ञ — ट्रस्ट मण्डल अपने सदस्यों का चयन कार्यो के कियान्त्रयक उद्देश्य का निस्तार उप समिति के निर्देश संस्थाओ के संचालन कार्मचारियों के चयन निष्काशन आदि का निर्णय अन्तिम होगा उसके निर्णययों की कही व किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी

ट– किसी प्रकार का वाद आजमगढ़ न्यायालय के न्याय क्षेत्र में आयेगा।

ठ– ट्रस्ट विलेख नियुक्ति सम्बन्धित दस्तावेज व कार्यवाही पुस्तिका चल एवं अचल सम्पत्ति के अर्मित करने के रूप में प्राप्त अभिलेख प्रबन्धक के पास ही सुरक्षित रहेगे जिन्हे आवश्यकता नुसार ट्रस्टी मण्डल द्वारा मागे जाने पर या आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा।

ड– ट्रस्टी मण्डल की प्रथम बैठक में व समय समय पर पदाधिकारियों के अन्य दायित्वों कर्तव्यो और अधिकारों की निर्धादित किया जायेगा जो विधि सम्मत हो।

ढ– ट्रस्ट के कार्यो ऐव उसके द्वारा संचालित संस्थाओं आदि वे कार्य के लिए ट्रस्टी मण्डल दोतिहाई बहुमत व्यक्तियों को देश प्रदेश ब्लाको व ग्राम पंचायतो में तीन वर्षीय प्रबन्धक तन्त्र की व्यवस्था करना।

च– द इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 अथवा तत्कालीन विधि के अनुरूप और पारम्परिक रीति रिवाज और व्यवहार के अनुसार आवश्यक कार्य करना।

छ– भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त अनुरक्षण मेन्टिनेन्स के समुचित उपयोग हेतु सुनिश्चित करना ट्रस्ट के लिए सभी प्रकार के अनुदान दान उपहार लाभांश तथा चन्दा आदि प्राप्त करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 981265

ज– ट्रस्ट के विभिन्न विद्यालयों केन्द्रो पाठयकमों संस्थाओं विभागों आदि के लिए उससें सम्बन्धित निधि एंव नियमों का अनुपालन करना और उसके अनुरुप उसकी स्थापना संचालन एंव प्रबन्धक की व्यवस्था करना तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित इन विद्यालयों महाविद्यालयों केन्द्रों संस्थाओं का संचालन एंव प्रबन्ध ट्रस्ट मण्डल ही करेगा।

झ– ट्रस्ट/संस्था के वैतानित कर्मचारियों की नियुक्ति करना स्थानान्तरण करना पदोन्नति करना उसके चरित्र पंजीकाओं में दर्ज करना व उस पर निर्णय करना तथा उन्हे पदच्युत करना नियुक्ति लिखित प्रस्ताव से कर सकेगा जो हर तीन वर्ष की सम्मापति पर नियुक्ति होती रहेगी। तथा इस पर ट्रस्टी मण्डल का पूर्ण नियन्त्रण रहेगा।

ण– उपरोक्त के अतिरिक्त इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एंव तत्कालीन विधि द्वारा प्राप्त अधिकार एंव दायित्व जो उपरोक्त व्यवस्थाओ के प्रतिकूल न हो ।

21– गणपूर्ति – ट्रस्टीमण्डल की दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में प्रबन्धन समिति ट्रस्टी मण्डल की समस्त बैठको भी गणपूर्ति माना जायेगी।

22– सदस्यता की सम्माप्ति – ट्रस्ट की सदस्यता निम्न परिस्थिति में समाप्त समझी जायेगी।

क– किसी सदस्य की मृत्यु होने पर

ख– किसी सदस्य के पागल अथवा ट्रस्ट में हेरा–फेरी व अवैध कार्य करने पर

ग– किसी सदस्य की अनैतिक अपराध मे लिप्त होने पर

घं– किसी सदस्य के सदसयता से त्यागपत्र देने की दशा में अध्यक्ष के अनुमोदन पर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

X 98126

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23– संविधान के संशोधन की प्रकिया ट्रस्ट मण्डल की ट्रस्ट धारियों को यह अधिकार होगा कि किसी भी समय मिटिगं बुलाकर दो तिहाई बहुमत से संविधान को संशोधित कर सकेंगे। तथा आवश्यकतानुसार संशोधित विलेखो का प्रमाणीकरण करा सकेगे परन्तु किसी भी दशा में ट्रस्ट के मूल भूत उद्देश्यों में संशोधन का अधिकार नही होगा।

24– ट्रस्ट / के नियमों प्रतिबन्धों कार्यकलाप सम्बन्धित विवरण तथा अन्य प्रावधानों के बारे में संका उत्पन्न होने पर ट्रस्टी मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा

अतः स्वस्थचित एंव बुद्धि से सोच व समझकर यह ट्रस्टनामा लिख दिया कि सनद रहें और वक्त पर काम आये।

दिनांक

टाईपकर्ता गुलाबचन्द्र गुप्ता

मशविदाकर्ता –

(5)

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा–32 (ए) के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्टस

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता:– श्री जितेन्द्र राय पु० स्व० [illegible]

(शाहीनगर) [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

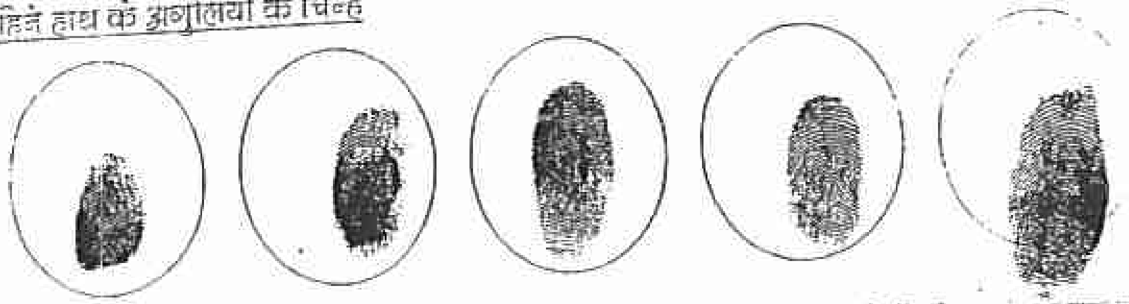

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता:–

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

आज दिनांक **28/11/2011** को

बही सं **4** जिल्द सं **136**

पृष्ठ सं **349** से **372** पर क्रमांक **75**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस0के0 मिश्र

उपनिबन्धक सदर

आजमगढ

28/11/2011